भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3163
उत्तर देने की तारीख : 11.07.2019

रुग्ण लघु उद्योग इकाइयां

3163. श्री अशोक महादेवराव नेतेः
श्री एस. ज्ञानतिरावियमः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में लघु उद्योग (एसएसआई) इकाइयों में रुग्णता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान एसएसआई में मंदी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) क्या सरकार इस मामले में विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार ने रुग्ण लघु इकाइयों की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए कोई आवश्यक उपाय किए हैं या प्रस्तावित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
(श्री नितिन गडकरी)

(क) से (ङ) : भारतीय रिजर्व बैंक ने 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के पुनरूद्धार और पुनर्वास के लिए एक फ्रेमवर्क' जारी किया है। इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत, बैंकों को सलाह दी गई है कि वे एमएसएमई खातों में आरंभिक दबाव को पहचानें और इसे उपयुक्त सुधारात्मक कार्य योजना अर्थात संशोधन, पुनर्निर्धारण और वसूली के लिए इस फ्रेमवर्क के तहत बनाई गई समिति को भेजें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार मार्च, 2017, सितम्बर, 2017, मार्च, 2018 और सितम्बर, 2018 को समाप्त छमाही के दौरान सुधारात्मक कार्य योजना समिति को भेजे गए दबावग्रस्त खातों की संख्या क्रमश: 1,00,803; 87,062; 1,30,208 और 1,50,165 है। एमएसएमई क्षेत्र में रूग्णता/मंदी पर समिति गठित करने का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में कोई प्रस्ताव नहीं है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा आकांक्षी/पिछड़े जिलों सहित भारत के सभी भागों में एमएसएमई के लिए लाभदायी विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है जिनमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई को बढ़ावा देने की योजना, टूल रूम और प्रौद्योगिकी केंद्र, मिशन सोलर चरखा (एमएससी), पारंपरिक उद्योगों के पुनरुत्थान के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति), खरीद और विपणन सहायता योजना, उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना और क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी और प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (सीएलसीएस-टीयूएस) सम्मिलित हैं।

****